

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Misc(Pet.) No. 1447/2024

Bhagya Shri W/o Shri Pintu @ Nirmal D/o Amba Kalal, Aged
About 30 Years, R/o Near Forest Office Behind Daak Banglow
Indra Colony Bhim (Rajsamand)

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Pp
2. Pintu @ Nirmal Kalal S/o Shri Kanhaiyalal, Aged About 27
Years, R/o 4 Pushpak Row House Hirabaug Varacha Road
Surat Gujarat
3. Smt Premi Kalal W/o Shri Kanhaiyalal, Aged About 49
Years, R/o 466 Bhagyoday Industrial Estate Magob Surat
Gujrat
4. Kanhaiya Lal Kalal S/o Shri Trilok Ji, Aged About 53 Years,
R/o 466 Bhagyoday Industrial Estate Magob Surat Gujrat
5. Manju Kalal D/o Kanhaiyalal, Aged About 30 Years, R/o
123 Khodiyar Residency Godadara Limbayat Surat Gujrat
6. Sosar Bai W/o Trilok Ji, Aged About 69 Years, R/o 19
Avsar Row House Bombay Market Road Surat Gujrat
7. Ratan Kalal S/o Kanhaiyalal, Aged About 25 Years, R/o 39
Shop 1 Swastik Society - 2 1 H Road Surat Gujrat

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Rohin Bhansali Mr. Mohd. Amaan
For Respondent(s)	:	Mr. Surendra Bishnoi, AGA Mr. Bhanwar Lal Inceptor, P.S. Bhim Distt. Rajsamand, Rajasthan Mr. Ambalal

HON'BLE MR. JUSTICE FARJAND ALI

Order

14/07/2025

प्रत्यर्थागण के विरुद्ध धारा 498ए, 406 323, 354 भारतीय दंड संहिता व
धारा 3, 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के तहत एक आरोपण पत्र
अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। कार्यवाही के अनुक्रम में

अभियुक्तगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 91 दंड प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर कतिपय दस्तावेजात को अभिलेख पर लिए जाने की प्रार्थना की उनका यह निवेदन रहा कि जो दस्तावेज तलब किए जाने हैं, वे न्याय की प्राप्ति के लिए एवं प्रकरण के न्यायसंगत निस्तारण के लिए आवश्यक हैं। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आक्षेपित आदेश के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया, जिससे क्षुब्ध एवं व्यथित होकर परिवादी—याची की ओर से यह विविध दांडिक याचिका इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

मैंने विद्वान अधिवक्ता याची एवं प्रत्यर्थीगण को सुना, थाने के भारसाधक अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं। उनसे भी बातचीत की गई। सुनवाई के दौरान ही विद्वान अधिवक्ता श्री अंबालाल ने धारा 91 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदित प्रार्थना पत्र एवं आक्षेपित आदेश से परे जाकर यह निवेदन किया कि यदि अभियुक्तगण के द्वारा पुलिस अधिकारी को अनुसंधान के दौरान जो अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था, जिसका विवरण पूर्व में आ चुका है, को अभिलेख पर रखा जाए तो वह अपनी अन्य प्रार्थनाओं के संबंध में आवेदन को प्रत्याहरित करते हैं। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत भी किया है, जिसके द्वारा अपनी प्रार्थना को अभ्यावेदन के प्रस्तुतीकरण तक सीमित किया गया। उभय पक्षों को सुनने एवं आक्षेपित आदेश तथा पत्रावली पर उपलब्ध अन्य सामग्री के अवलोकन के उपरांत इस न्यायालय को यह महसूस होता है कि निश्चित रूप से प्रत्यर्थीगण—अभियुक्तगण को यह अधिकार है कि वे उस अभ्यावेदन के प्रस्तुतीकरण की मांग करें जो उन्होंने इसी प्रकरण में अनुसंधान के दौरान अनुसंधान अधिकारी को प्रेषित किया था। चूंकि यह अभ्यावेदन उभय पक्षों के बीच मौजूद विवाद विषय से संबंधित है एवं इसमें अभियुक्तगण की प्रतिरक्षा के आधार भी मौजूद हैं और यह अभ्यावेदन प्रकरण के न्यायपूर्ण निस्तारण में सहयोग प्रदान कर सकता है अतएव इस न्यायालय की राय में यह समीचीन होगा कि पुलिस थाना भीम के भारसाधक अधिकारी अधीनस्थ न्यायालय में आगामी नियत तारीख पेशी दिनांक 19.07.2025 को अभियुक्तगण द्वारा अनुसंधान के दौरान उनको सौंपे गए मूल अभ्यावेदन को न्यायालय में प्रस्तुत करें। मूल अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाने पर अधीनस्थ

न्यायालय उस अभ्यावेदन को अभिलेख का भाग बनाएगा, तत्पश्चात् विचारण के प्रक्रम पर उभय पक्षों को यह स्वतंत्रता होगी कि वे उक्त अभ्यावेदन का उपयोग साक्ष्य के दौरान ले सकेंगे, तदनुसार यह विविध दांडिक याचिका निस्तारित की जाती है। अन्य लंबित समस्त प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाते हैं। प्रत्यर्धीगण अपनी बारी आने पर, बचाव के चरण में अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु प्रतिबंधित नहीं होंगे। विचारण न्यायालय से यह अपेक्षा है कि वह निरंतर विचारण की कार्यवाही को जारी रखें एवं यथाशीघ्र निस्तारण के हर संभव प्रयास करें।

(FARJAND ALI),J